फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

छोटा देवी बनाम भगवान सहाय वगै0

मुकदमा नं0 :— 192/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 के आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 में अंकित बिन्दूओ को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पुराना खसरा नम्बर 907 के वर्तमान खसरा नम्बर 10, 16, 05, 09 कुल किता चार कुल रकबा 2.4000है0 ग्राम रामजीपुरावास नायला तथा पुराने खसरा नम्बर 769, 777, 790 के नया खसरा नम्बर 291, 299, 313, 316 कुल किता चार कुल रकबा 0.8900है0 ग्राम मीणों का बाढ तहसील जमवारामगढ में स्थित है। जिसमें प्रार्थी अपनी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है जो कि प्रार्थी की सम्पत्ति है। प्रार्थी अपनी कब्जे काश्तशुदा खातेदारी भूमि जो प्रार्थी की आय का स्त्रोत है जिससे वादीगण/अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक संबंध व सरोकार नही है। जिस पर प्रार्थी खातेदार की हैसीयत से भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज की गई है। जिसका सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी की स्वयं सम्पत्ति है। अप्रार्थीगण/वादीगण या अन्य किसी विधिक वारीसान का किसी प्रकार का कोई हक संबंध नही है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि को अपनी खातेदारी भूमि बताते हुए माननीय न्यायालय से अप्रार्थीगण /वादीगण ने मुगालते में रख कर सम्पूर्ण भूमि पर स्टे दिनांक 05.12.2024 को प्राप्त कर लिया है जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। वादीगण/अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के उक्त वर्णित खातेदारी भूमि के संबंध में मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति के स्टे की आड मे प्रार्थी की भूमि के उपयोग उपभोग में बांधा उत्पन्न कर दिया है। मिथ्या एवं भ्रामक कथनों के आधार पर स्टे प्राप्त कर जबरन रूकवा दिया है। जो पूर्णतः गैर कानूनी एवं विधि विरूद्व होने से काबिले खारिज है। यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित वादग्रस्त खातेदारी भूमि को उक्त 05.12.2024 को जारी स्टे से मुक्त कर दिया जाता है तो उससे अप्रार्थीगण/वादीगण को किसी प्रकार की कोई क्षती नही होगी ना ही अप्रार्थीगण/ वादीगण के कोई हक अधिकार प्रभावित होगें। स्टे की आड में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से रोका जा रहा है जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर खुलआम कुठाराघात हो रहा है। जिसका अप्रार्थीगण/वादीगण को किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण/वादीगण माननीय न्यायालय के आदेश 39 नियम 3(ए)(1)(2)(3) व 3(ब) की पालना अप्रार्थी/वादी द्वारा नही की गई है। जिससे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुका है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली में जारी स्टे आदेश दिनांक 05.	

उपखण्ड अधि
जमवारा

12.2024 को न्यायहित में खारिज फरमाया जावें। वकील प्रार्थी/अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के अपील सं0 2023/326 उनवान प्रभूनारायण बनाम भगवान सहाय व माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के अपील सं0 403/2021 उनवान प्रभूनारायण बनाम भगवान सहाय एवं न्यायालय हाजा के मु0नं0 201/19 मूल्या बनाम रूकमा वगै0 की छायाप्रतियॉ पेश की। जो शामिल पत्रावली है।

वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 में अंकित बिन्दूओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त वर्णित भूमि को अप्रार्थी वादीगण ने जरिये रजिस्ट्री पूर्व खातेदार रूकमा देवी उर्फ रूकमणी देवी से खरीदी थी तब से ही वादीगण उक्त भूमि पर काबिज उक्त है। जिससे वादीगण विवादग्रस्त भूमि के स्वतः ही खातेदार हो गये प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नही है। विवादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी वादीगण ने जरिये रजिस्ट्री पूर्व खातेदार रूकमा देवी उर्फ रूकमणी देवी से खरीदी थी जिससे वादीगण विवादग्रस्त भूमि के स्वतः ही खातेदार हो गये है। उनकी खरीद शुदा उक्त भूमि जिसका उल्लेख विचाराधीन प्रार्थना पत्र में किया गया है उपयोग उपभोग में बांधा उत्पन्न करते है जिस कारण अप्रार्थी वादीगण को जरिये न्यायालय स्थगन प्राप्त करना पडा। जब विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी/वादीगण का कब्जा है तो प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। उक्त भूमि कयशुदा होने से अप्रार्थी/वादीगण ने न्यायालय को मुगालते में नही रखा है। अगर वर्तमान में प्रभावी स्थगन को निरस्त कर दिया जाता है तो अप्रार्थी वादीगण अपनी खरीदशुदा भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगा एवं अप्रार्थी/वादीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः अप्रार्थी/ वादीगण ने आदेश 39 नियम 3(ए)(1)(2)(3) व 3(ब) की पालना न्यायालय के आदेश दिनांक 05.12.2024 को ही कर दिया था इस कारण उक्त आदेश आज भी प्रभावी है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 व सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 खारिज करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर पाया कि वाद में वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी की हिस्सेनुसार खातेदारी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जिसके उपयोग उपभोग में में बाधा उत्पन्न करने का वादीगण/अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया जाकर इस स्थगन ~~प्रार्थना पत्र~~ को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 06.02.2025 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

फर्द अहकाम

न्यायालय सीता देवी वगैरह बनाम भगवान सहाय वगैरह
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

संख्या 192/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली प्रकरणानुसार बास्ते जवाब हेतु दिनांक 11/02/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	11/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से संबंधित मूल वाद को अदम पैरवी के आधार पर खारिज की जा चुकी है। अतः अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली [illegible] अनुसार होकर [illegible] के [illegible] बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	